न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 66 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 168

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
1 विमला पुत्री धुड़ाराम पत्नी खेताराम वगैरह	1 धुड़ाराम पुत्र अर्जुनराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 26.08.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जयप्रकाश बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 32 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 08.04.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा गुन्दाउ के पुराने खेत खसरा नंबर 759 रकबा 99 बीघा 3 बिस्वा भूमि हेमा, घमड़ा, झावता, हरिंगा, राणा, अर्जन पिता धन्ना के नाम प्रथम सर्वे के वक्त खातेदारी दर्ज हुई व खसरा नंबर 760, 748, 820 जुमले रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा भूमि राणा, अर्जुन पुत्र धन्ना के नाम खातेदारी दर्ज हुई तथा मौजा सांकड़ के खेत खसरा नंबर 488, 502 जुमले रकबा 72 बीघा 19 बिस्वा भूमि हेमा, घमडा, झावता, हरिंगा, राणा, अर्जन पिता धन्ना के नाम खातेदारी दर्ज हुई जो ग्राम सांकड़ की 72 बीघा 19 बिस्वा भूमि व ग्राम गुन्दाउ की 99 बीघा 3 बिस्वा भूमि में धूड़ा का 1/12 हिस्सा व ग्राम गुन्दाउ की भूमि खसरा नंबर 760, 748, 820 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा में धुड़ा 1/4 हिस्सा खातेदारी का था। वाद के तीन मूलभूत आधार बिन्दू प्रथम दृष्टया ममाला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू पर गौर किया जाये तो वाद के तीनों आधार बिन्दू हम प्रार्थीगण के पक्ष का है क्योंकि प्रथम दृष्टया वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है तथा हम खातेदार धूड़ा के पुत्रियें है इसलिए हमारे पक्ष में बनता है तथा हम इस भूमि पर जन्म से काबिज काश्त है इसलिए सुविधा का संतुलन भी हमारे पक्ष का है तथा यदि हमें हमारे पुश्तैनी हक से वंचित किया जाता है तो हमें अपूरणीय क्षति होगी जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कार्य मनमाना है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि जिसका नये सर्वे के दौरान मौजा सांकड़ की भूमि पुराने खसरा नंबर 488 व 502 के नये सर्वे के दौरान नये सर्जित नंबर 632, 633, 639, 640, 712, 713, 715, 716 रकबा क्रमशः 1.15, 1.34, 0.49, 0.30, 2.28, 2.06, 2.03, 2.16 जुमले रकबा 11.81 हैक्टेयर तथा मौजा गुन्दाउ के पुराने खसरा नंर 759 जो नये सर्वे के दौरान नया गांव सेड़िया के खसरा नंबर 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 599/807, 600, 601, 602, 603, 610 व 611 जुमले रकबा 16.05 हैक्टेयर व पुराने खसरा नंबर 748 के नये सर्जित नंबर 541, 542, 543, 544, 545,

सहायक कलक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

546, 547, 548, 549 जुमले रकबा 3.77 हैक्टेयर तथा पुराने खसरा नंबर 820 के नये सर्जित गांव कबूली की ढ़ाणी के खसरा नंबर 1138 रकबा 1.31 हैक्टेयर पुराने खसरा नंबर 760 का नया गांव कबूली की ढ़ाणी के खसरा नंबर 1053 व 1054 जुमले रकबा 1.01 हैक्टेयर सर्जित हुए जिसमें प्रार्थीयागण के हिस्से में आई भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में दान कर दी है जो शून्य होने से मूलवाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति रखने का आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 32 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

हमनें अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा सांकड़, पटवार हल्का–सांकड़ के खेत खसरा नंबर 632, 633, 639, 640, 712, 713, 715, 716 कुल रकबा 11.81 हैक्टेयर, मौजा कबुली ढ़ाणी, पटवार हल्का गुन्दाउ के खसरा नंबर 1053, 1054 कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1138 रकबा 1.31 हैक्टेयर व मौजा सेड़िया, पटवार हल्का गुन्दाउ के खसरा नंबर क्रमशः 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 599/807, 600, 601, 602, 603, 610 व 611 जुमले रकबा 16.05 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस)**
सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालौर
सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **08.04.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालौर
सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)